

संख्या: फिश- ए (8)-1/2018
हिमाचल प्रदेश सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

प्रेषक:

सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Directorate of Fisheries
8408
30 DEC 2023

प्रेषित:

✓निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य,
हिमाचल प्रदेश,
बिलासपुर-174001.

Bilaspur (H.P.)

दिनांक शिमला -2,

२४ दिसम्बर, 2023.

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
01/04/2022 से 31/03/2023 तक भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या : फिश-ए (8) -6/2021-
स्टैट-III- 7469, दिनांक 25/11/2023 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके
द्वारा तैयार उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रारूप अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी एक
प्रति वापिस की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई तदनुसार
करते हुये उक्त प्रतिवेदन की 10 स्वच्छ प्रतियों इस विभाग को भेजी जाये, ताकि इसे हिंप्र० विधान
सभा को आगामी विधान सत्र के दौरान भेजा जा सके।

भवदीया,

20/1

(रक्षा शर्मा)
उप सचिव (मत्स्य पालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Ans
30/12/23)

Stat



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2022-23



मात्स्यकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख-रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जल प्रदान किया है जोकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की चशीतल जलीय प्रजातियाँ जैसे गुगली (साइजोथैरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राऊट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो-नौरवेजियन ट्राऊट फार्मिंग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राऊट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियाँ क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :-

	शीत जल	:	द्राऊट जल 600 कि०मी०
	सामान्य जल	:	2400 कि०मी०
	जलाशय जल स्रोत	:	43785 हैक्टेयर
	तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र :		873.69 हैक्टेयर
	ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब :		617 हैक्टेयर

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) व संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०) के अतिरिक्त 02 उप-निदेशक मत्स्य, 11 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, व 17 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान श्री सुखविंदर सिंह सुखबू, माननीय मुख्य मंत्री, मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, श्री राकेश कंवर, I.A.S सचिव (मत्स्य) के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा निदेशालय स्तर पर श्री सतपाल मैहता, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य व श्री विशाल शर्मा HPAS संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०), श्री सुशील जनार्था व श्री हमीर चंद, उप-निदेशक मत्स्य मुख्यालय, श्री पंकज ठाकुर सहायक निदेशक मत्स्य मुख्यालय, श्रीमति चंचल ठाकुर सहायक निदेशक मत्स्य-20 सूत्रीय कार्यक्रम, समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के

क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, सांगला जो कि सहायक निदेशक मत्स्य शिमला के नियंत्रण में है तथा जिला लाहौल व इस्पति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं इस्पति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।

वर्ष 2022-23 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्रं०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू	माननीय मुख्य मन्त्री, मत्स्यपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2.	श्री राकेश कवंर I.A.S	सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3.	श्री सतपाल मैहता	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4.	श्री विशाल 'र्मा HPAS	संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०), हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
5.	श्री सुशील जनार्था	उप-निदेशक मत्स्य (मु०), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि०प्र०।
6.	श्री महेश कुमार	उप-निदेशक मत्स्य पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि०प्र०।
7.	श्री खेम सिंह	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
8.	श्री हमीर चन्द	उप-निदेशक मत्स्य (मु०), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि०प्र०।
9.	श्री पंकज ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
10.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला चम्बा, हि०प्र०।
11.	श्री श्याम लाल शर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।

11.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
12.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
13.	श्री पंकज ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, (मु०) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०।
14.	श्रीमति चंचल ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०।
15.	डॉ० सोम नाथ	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सोलन, हि०प्र०।
16.	डॉ० सोम नाथ	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
17.	श्री विवेक शर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला ऊना, हि०प्र०।
18.	श्री राम सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना, हि०प्र०।
19.	श्रीमति नीतू सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।
20.	श्री संदीप कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर, हि०प्र०।
21.	डॉ०राकेश कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि०प्र०।
22.	श्री अरुण कान्त	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
23.	श्रीमति रिचा गुप्ता	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
24.	श्री अजय कुलदीप	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हि०प्र०।
25.	श्री राजेन्द्र पाल	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
26.	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू, हि०प्र०।

27.	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लठियाणी, जिला ऊना, हि०प्र०।
28.	श्री हितेश कुमार कौण्डल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
29.	श्री तेजराम	मत्स्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।
30.	श्री प्रीतम चन्द्र	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, संधारा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
31.	श्री मनजीत सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, नगरोटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
32.	श्री विजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
34.	श्री प्रदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, भाखड़ा, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
35.	श्री विमल गुलेरिया	मत्स्य अधिकारी, बरोट, जिला मण्डी, हि०प्र०।
36.	श्री विकास चन्द्रा	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म थला, जिला चम्बा, हि०प्र०।
37.	श्री अजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि०प्र०।
38.	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्सू, जिला मण्डी, हि०प्र०।
39.	श्री पंकज पटियाल	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
40.	श्री नितिन महन्त	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला, हि०प्र०।
41.	श्रीमति कविता भाटिया	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
42.	श्री दिलवर सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

43.	श्री निलमणी	उप निरीक्षक मत्स्य, जंजैहली, जिला सिरमौर, हिं0प्र०।
44.	श्री बलजीत सिंह	उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जिला बिलासपुर, हिं0प्र०।
45.	श्री लेख राज	उप निरीक्षक मत्स्य, सांगला, जिला किन्नौर, हिं0प्र०।
46.	श्री सूरम सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, मान्दली, जिला ऊना, हिं0प्र०।
47.	श्री रमेश कुमार	उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्नी, जिला शिमला, हिं0प्र०।
48.	श्री तेजेन्द्र प्रकाश	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य कार्प फार्म बढ़ीपुर, जिला सिरमौर, हिं0प्र०।
49.	श्री राम दास	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, धमेटा, जिला कांगड़ा, हिं0प्र०।
50.	श्री मानव कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, हरीपुर, जिला कांगड़ा, हिं0प्र०।
51.	श्री अंकुश धीमान	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बरनाली, जिला कांगड़ा, हिं0प्र०।
52.	श्री विवेक कमल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हिं0प्र०।
53.	श्री दीप कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन, हिं0प्र०।
54.	श्री गोपाल चन्द	उप-निरीक्षक मत्स्य, बटाहर, जिला कुल्लू, हिं0प्र०।
55.	श्री मुकेश कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य अधिकारी, मच्छ्याल, जिला मण्डी, हिं0प्र०।






Trout Farm Sangla Distt. Kinnaur

3

वार्षिक योजना 2022-23 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां


क्रं.सं.	मद	वार्षिक योजना 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2022-23 की प्राप्तियां
1.	मत्स्य उत्पादन (भीट्रिक ठन)	17150.62	17026.09
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	758.00	671.37
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन (लाख)	20.80	3.82

Fish Production in MT**Carp Seed Production in Lakh****Trout Ova Production in Lakh**

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी करना;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदी-नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, द्राऊट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना;
- द्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुलन में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना।



नदीय मात्स्यकी



जलाशय मात्स्यकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्रोतों से 26156.15 लाख रुपये मूल्य की 17026.09 टन मछली का उत्पादन किया गया। विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 48.14 लाख रुपये मूल्य की 08.47 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 104.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 6437.75 लाख रुपये कीमत की 1170.50 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में ऐनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर चम्बा व सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 6176 (गोविन्दसागर 2544, कोलडैम 152, पौंगडैम 3178, चमेरा 214 व रणजीत सागर 88) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 9.78 करोड़ रुपये मूल्य की 549.35 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।



- विभागीय कार्प फार्मो से वर्ष 2022-23 में 671.37 लाख तथा निजी कार्प फार्मो से 7.00 लाख (कुल 678.37 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।
- इस वर्ष 4032 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 181.44 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- वर्ष 2022-23 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 2151.82 लाख रुपये था। इसमें से 512.16 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 323.05 लाख रुपये जन-जातीय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 567 नये रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वर्ष 2020-21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना (ट्राउट पशुधन बीमा योजना) शुरू की है। इस योजना की प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच साझा की जा रही है। इस वर्ष विभाग ने 5 मत्स्यपालकों द्वारा निर्मित



5ट्राउट इकाईयों को बीमाकृत किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि मु0 19,175/- रुपये प्रति इकाई है।

- प्रति वर्ष लगभग 4032 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को दो माह के बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 4500/- रुपये प्रति मछुआरा की दर



से वित्तीय सहायता प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

6

वार्षिक योजना 2022-23

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति व हरित क्रान्ति के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है जिसमें प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रमुख योगदान है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2022-23 में 2151.82 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निर्मांकित योजनाएँ कियान्वित की गई हैं:



निर्देशन एवं प्रशासन



जलाशय संरक्षण



कार्प बीज उत्पादन



ट्राइट बीज उत्पादन



कार्प बीज फार्मो का विस्तार



प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना "PMMSY"



सामुदायिक तालाबों का निर्माण



जनजातीय उप योजना



मात्रियकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, “नदीय स्त्रोतों में परिग्रहण मात्रिकी” को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 3.75 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हुआ है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्रिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल रूपीकृत पदों में से लगभग 145 पद खाली चल रहे हैं।




प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्रिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षण:-


प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिव्ह हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70 मि.मी. आकार

से बड़ा मछली का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके भविष्य में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना हैं।



वर्ष 2022-23 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियाँ:-

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मी० टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोबिन्द सागर	182.85	39.85	86.13
पौंग डैम	313.65	112.15	89.14
चमेरा	2.89	1.19	16.60
रणजीत सागर	43.33	5.44	0.75
कोल डैम	6.64	3.13	4.90
कुल:	549.35	161.76	197.52



(2) कार्प बीज उत्पादन:-

राज्य में पहले ही छ: कार्प बीज फार्म, घाघस दयोली (जिला बिलासपुर), अल्यू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयोली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा जिला (कांगड़ा) तथा सुल्तानपुर (जिला चम्बा) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौंछ साहिब) जिला सिरमौर में स्थापित किया गया है। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पन बिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर-बदल किया जाना चाहित था।

राज्य में एक मात्र महाशीर प्रजनन केन्द्र, मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मछली (जिला मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है, जिससे मत्स्य आखेट को लाभ हो सके। इस वर्ष 16600 महाशीर मछलियों के अण्डों का उत्पादन किया गया। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को ऊचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्रोतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित महाशीर मछली के


क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्प फार्मों में उत्पादित कार्प बीज भी संग्रहित किया जाता है।

इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2023 तक 671.37लाख तथा निजी फार्मों से 7.00 लाख (कुल 678.37 लाख) कार्प मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। जिसको राज्य के मत्स्य किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

योजना का नाम	वर्ष 2022-23 का बजट प्रावधान	वर्ष 2022-23 में व्यय
कार्प बीज उत्पादन	136.20 लाख	136.14 लाख

(क) विभागीय कार्प फार्म:

विभागीय कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का विवरण (लाखों में) इस प्रकार है:-



कार्प बीज फार्म उत्पादन


क्रमांक	विभागीय कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन(लाखों में)
1.	दयोली (बिलासपुर)	180.60
2.	अल्घू (मण्डी)	66.35
3.	कांगड़ा	7.05
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	70.08
5.	नालागढ़ (सोलन)	161.08
6.	गगरेट (ऊना)	161.00
7.	बदरीपुर सिरमौर	25.00
8.	मच्छयाल (मण्डी)	0.21
	योग	671.37

(ख) क्रीड़ा मात्स्यकी का प्रबन्धन एवं विकासः

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राउट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राउट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो



Trout Farm Patlikuhal, Kullu



Trout Farm Hamni, Kullu

गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राउट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राउट फार्मों पतलीकूहल, हामनी, बरोट, सांगला, धमवाड़ी, थल्ला व भान्दल, में

नवीनतम तकनीक से ट्राऊट मत्स्य पालन किया जा रहा है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 20.80 लाख कि तुलना में 3.821 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के ट्राऊट फार्मों से हुआ।


योजना का नाम	वर्ष 2022-23 का बजट प्रावधान	वर्ष 2022-23में व्यय
ट्राऊट बीज उत्पादन	129.90 लाख	129.88 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादन:


राज्य के ऊपरी ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग छारा कार्य किया गया है। वर्ष 2022-23 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है। वर्ष 2022-23 में निजी ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्मों से कुल 1170.50 मीट्रिक टन ट्राऊट का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य 6437.50 लाख रुपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2021-22 से 257.00 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्मों से



भी 104.75 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।



क्रम संख्या	ट्राइट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकूहल (कुल्लू)	3.208	39.65
2.	हामनी (कुल्लू)	2.226	19.65
3.	बरोट (मण्डी)	0.832	9.82
4.	सांगला (किन्नौर)	1.05	11.05
5.	धमवाड़ी (शिमला)	1.32	21.51
6.	थल्ला (चम्बा)	0.026	1.77
7.	भान्दल (चम्बा)	0	1.40
8.	होली (चम्बा)	0	0.2
	कुल:-	8.473	104.75



(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव:

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुनर्स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गतएक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है, जिसमें इस वर्ष 0.21 लाख बीज़ का उत्पादन किया गया।

योजना का नाम	वर्ष 2022-23 का बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 2022-23 में व्यय (लाखों में)
कार्प बीज फार्मों का विस्तार	29.54	29.51

(इ) अनुसूचित जाति उप योजना:

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर ऊँचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए वार्षिक योजना 2022-23 में 452.16 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-32 (SCSP) during financial year 2022-23											
Sr. No.	Detail of Scheme /SOEs	Original/ Sanctioned Budget	Additional Budget	Revised Budget	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	GoI/Go HP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	GoI Installation/Budget Alloted	Expenditure as on dated:	Balance Budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2405-00-789-02(SOON) Plan, Management and Development Carp Fish Farms.										
i)	09-Adv. & publicity	0.00	0.00	0.00	0	Exhibition Stalls		0.00	0	0.00	0
ii)	20-Other Charges	0.00	0.00	0.00	0	Trainings		0.00	0	0.00	0
iii)	36-Minor Works	0.00	0.00	0.00	0	Repair Work of CP		0.00		0.00	0
iv)	63-Subsidy	0.00	0.00	0.00	0	Gillnets		0.00	0	0.00	0
(A)	Total:-	14.00	0.00	0.00	0			0.00	0	0.00	0
2	2405-00-789-03-Plan; RKVY (Scheme has not been operated due to some administrative reasons as the Nodal Department i.e. Agriculture Deptt. not sanctioned targets for CFY)										
i)	63-Subsidy(C90N)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	63-Subsidy(S10N)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(B)	Total:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2405-00-789-08-(S50N) insurance of fishermen under PMJJBY										
i)	63-sub subsidy	0.00	0.00	0.00	The scheme has been discontinued by GOI			0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	(S50N)	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
*C	Total:-	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
4	2405-00-789-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock										
i)	63-Subsidy (S65N)	2.00		0.12		Trout live stock insuran		0.12	0	0.12	0

		0	Beneficiary contribution			ce premium					
(D)	Total:-	2.00	2.00	0.12			0.12	0	0.12	0	
5	2405-00-789-10-(C90N & S10N) Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)										
i)	20-Addition al charge (COON)	8.00	0.00	0.00			0	0	0	0	
ii)	63-Subsidy(C90N)	234.00	172.57	406.57	3988		406.57	0.00	406.57	0.00	
iii)	63-Subsidy(S10N)	24.00	21.47	45.47			45.47	0.00	45.47	0.00	
iv)	63-Subsidy(C53N)	41.00	0.00	41.00	1488		0.00	0.00	0.00	41.00	
v)	63-Subsidy(S13N)	11.00	0.00	11.00			0	0	0	11.00	
vi)	63-Subsidy(S20N)-PMBSY	8.00	0.00	8.00	0		0	0	0	8.00	
(E)	Total:-	326.00	194.04	512.04	5476		452.04	0	452.04	60.00	
7	4405-00-789-02-Buildings Fisheries, (SOON)-Plan ;										
i)	37-Major work	0.00	0.00	0.00	0		0	0	0	0	
(F)	Total:-	0.00	0.00	0.00			0	0	0	0	
G.Total:-		342.00	196.04	512.16	5476.00		452.16	0.00	452.16	60.00	

(च) जनजातीय क्षेत्र उप योजना:

हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्थिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातीय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट का संग्रहण करके ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्थिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत

है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (थल्ला) में एक मत्स्य अधिकारी नियुक्त है। जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से बांधित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है। इस वर्ष के दौरान ट्राउट बीज फार्मों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि छोटी-बड़ी सभी नदियों में ट्राउट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र के जलों में ट्राउट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली तथा थल्ला नामक स्थान पर एक-एक ट्राउट फार्म बना दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केवल सरकार से विशेष सहायता के रूप में खीकृत गैर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जनजातीयों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए विभाग द्वारा मांग संख्या-31 के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-31(TASP) during financial year 2022-23											
Sr. No.	Detail of Scheme/ SOEs	Original/ Sanctioned Budget	Add./Sur. Budget Rs.	Revised Budget Rs.	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	Gol/GoHP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	Gol. Installation	Expenditure as on 31st March	Balance Budget Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	2405-00-796-03-AOOS-Plan; Expenditure on fisheries under SCA in Chamba & Bhatiyat pockets										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered					
(A)	Total:-	1.00	0.00	0.00	0.00						
2)	2405-00-796-04(AOOS)-Plan ;Expenditure on fisheries under SCA (c/o Trout Raceways including input cost)										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	0.00	c/o Trout Raceways including input cost	0.00	0.00	0.00	0.00	
(B)	Total:-	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3)	2405-00-796-05-AOOS-Plan; Expenditure on fisheries under SCA for disperse tribes (OTA)										
i)	63-Subsidy	1.00	0.00	0.00	0.00	Budget has been surrendered					
(C)	Total:-	1.00	0.00	0.00	0.00						
4)	2405-00-796-06-Plan; RKVY										
i)	63-Subsidy(C90N)	0.00	0.00	0.00	0.00	Budget not allotted	0.00	0.00	0.00	0.00	
ii)	63-Subsidy(S10N)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
(D)	Total:-	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5)	2405-00-796-08-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY										

i)	63-Subsidy(S50N)	0.00	0.00	0.00	0.00	Budget not allotted							
(E)	Total:-	0.00	0.00	0.00	0.00								
6)	2405-00-796-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock												
i)	63-Subsidy(S65N)	1.00	0.00	0.25	2	Trout live stock insurance		0.25	0.00	0.25	0.00		
(E)	Total:-	1.00	0.00	0.25	2			0.25	0.00	0.25	0.00		
7)	2405-00-796-10-Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS)												
i)	63-Subsidy(C90N)	100.00	0.00	227.4935	374	Close season assistance to ST beneficiaries		227.4935	0.00	227.4935	0.00		
ii)	63-Subsidy(S10N)	10.00	0.00	25.31				0.2635		25.31	0.00		
iii)	63-Subsidy(C53N)	4.00	0.00	4.00	127			0	0.00	0	0.00		
iv)	63-Subsidy(S13N)	1.00	0.00	1.00				0.000	0.00	0	0.00		
v)	63-Subsidy(S20N)	0.00	0.00	0.00	0	Budget not allotted							
vi)	20-other charges (COON)	5.00	0.00	5.00			Budget has been surrendered	0.00	0.00	0.00	0.00		
F)	Total:-	120.00	0	262.80	501			252.8035	0	252.8035	0.00		
8)	2415-01-796-06(SOON) PLAN												
i)	42-GIA(non-salary)	500000	0.00	500000	Department has allotted Rs. 5.00 Lac to HPKVV for performing research work on fisheries.		5.00	0.00	5.00	0.00			
G)	Total:-	5.00	0.00	5.00			5.00	0.00	5.00	0.00			
4405-796-01-Building Programme:37-Major Work													
9)	37-Major work	72.00	0.00	60.00	Building Programme:37-Major work		60.00	0.00	60.00	0.00			
H)	Total:-	72.00	0.00	60.00			60.00	0.00	60.00	0.00			
Total:(A+B+C+D+E+F+G+H)		201.00	0.00	328.05			318.05350	0	318.05350	0.00			

(छ) मात्स्यकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रौद्यौगिकी को बढ़ावा देना:

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को वर्ष 2022-23 में मु019.20 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति प्रतिक्षित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है।

(ज) मत्स्य अनुसंधान हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय:

मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 5.00 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2023 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

9

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना:

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर कमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील कांन्ति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को

5,00,000/- रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 2,50,000/-रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 25,000/- रुपये भी प्रदान किये जाते हैं।


(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजना:

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए “मछुआरा जोखिम निधि” की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतु इन संयत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है।



(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजना:

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबन्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध



करवाने के दृष्टिगत एक अंशदायी आर्थिक सहायता स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 150/- रूपये प्रतिमाह अपना अंशदान कोष में जमा करवाता है।

इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 2400/- रूपये प्रति माहगीर और प्रदेश सरकार 600/- रूपये / माहगीर अपना अंशदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अंशदान 4500/- रूपये प्रति माहगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में कमशः 2250-2250/- रूपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2022-23 में 4032 मछुआरों को इस योजना के तहत 120.96 लाख रूपये (24.192लाख रूपये राज्य बजट और 96.768 लाख रूपये केन्द्रीय शेयर) वितरित किया गया है।

नील कान्ति मिशन

नील कान्ति मिशन-एकीकृत मात्स्यकी विकास एवम् प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा योजना प्रायोजित के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नील कान्ति मिशन प्रदेश में वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ तथा इसका मुख्य लक्ष्य देश तथा प्रदेश में रह रहे मछुआरों व मत्स्य पालकों का आर्थिक उत्थान् करना एवम् जल संसाधनों का पूर्ण एवम् सही उपयोग करके भोजन तथा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। मात्स्यकी क्षेत्र में भविष्य में उच्च सम्भावित विकास के मध्यनजर माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में एक कान्ति का अहवान किया है जिसे “नील कान्ति” नाम दिया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय के पशुपालन एवं दुग्ध तथा

मात्स्यकी विभाग द्वारा भारत वर्ष में संचालित सभी योजनाओं का पुनर्गठन करके एक नई योजना के अधीन इनका क्रियाव्ययन किया जा रहा है जिसका नाम नील कान्ति मिशन है पुनर्गठित योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों की मछली का उचित विकास एवं प्रबन्धन करना है। इस योजना के तहत सरकार तथा लाभार्थी के बीच में 40:60 अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

नील कान्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय राशि मु0 1610.64 लाख कर्मशः मु0 644.91, 811.55 और 154.18 लाख व्यय की गई। जिसके द्वारा राज्य में मत्स्य तालाबों (33.57 है), रिटेल आउटलेट (03 इकाईयां), ट्राउट रेसवेज (479 इकाईयां), फीड मिलें (15 इकाईयां), ट्राउट व कार्प हैचरियां (28 इकाईयां), विभागीय कार्प फार्म नालागढ़ में RAS (Recirculatory Aquaculture System) तथा ट्राउट फार्म पतलीकुहल में 01 ट्राउट प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं व अन्य वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस योजना के तहत राज्य के 400 जलाशय माहीगीरों को आवास प्रदान किए गए। यह योजना वर्ष 2019-20 में बंद हो गई है।

प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई रक्षीम प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना(PMMSY) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में प्रथम चरण में केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए भेजे गए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों में से भारत सरकार द्वारा मु0 2875.995 लाख रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। जिस में से मु0 1434.32 लाख रुपये केन्द्र भाग, मु0 171.70 लाख रुपये राज्य भाग तथा मु0 1279.985 लाख रुपये लाभार्थी भाग है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बन्द सीजन “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण



संबंधी सहायता" हेतु स्वीकृत कुल मु 120.96 लाख रुपये की राशि भी जारी की है। प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 की भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक घटक बाट स्वीकृति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

Sr. No.	Name of the Projects	Unit cost	Units	Category	Units Recommended (No./ Ha.)	Total project Cost	Eligible Govt. Subsidy		Beneficiary Share
			(No./Ha)				Central Share	State Share	
PMMSY									
1	Construction of New Ponds	8.4	Ha	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	9.7500	81.9000	29.4840	3.2760	49.1400
				SC	3.7000	31.0800	16.7832	1.8648	12.4320
				ST	0.5000	4.2000	2.2680	0.2520	1.6800
				Women	8.0500	67.6200	36.5148	4.0572	27.0480
		8.4	Ha	Total	22.0000	184.800 0	85.0500	9.4500	90.3000
2	Input Cost for New Grow-out Ponds	4	Ha	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	9.7500	39.0000	14.0400	1.5600	23.4000
				SC	3.7000	14.8000	7.9920	0.8880	5.9200
				ST	0.5000	2.0000	1.0800	0.1200	0.8000
				Women	8.0500	32.2000	17.3880	1.9320	12.8800
		4	Ha	Total	22.0000	88.0000	40.5000	4.5000	43.0000
3	Construction of Trout raceways in Private Sector	3	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	50.0000	150.000 0	54.0000	6.0000	90.0000
				SC	45.0000	135.000 0	72.9000	8.1000	54.0000
				ST	25.0000	75.0000	40.5000	4.5000	30.0000
				Women	50.0000	150.000 0	81.0000	9.0000	60.0000
		3	No.	Total	170.0000	510.000 0	248.400 0	27.600 0	234.0000
4	Input Cost for Trout Raceways	2.5	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	50.0000	125.000 0	45.0000	5.0000	75.0000
				SC	45.0000	112.500 0	60.7500	6.7500	45.0000
				ST	25.0000	62.5000	33.7500	3.7500	25.0000
				Women	50.0000	125.000 0	67.5000	7.5000	50.0000
		2.5	No.	Total	170.0000	425.000 0	207.000 0	23.000 0	195.0000
5	Construction of Fish Kiosks	10	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	4.0000	40.0000	14.4000	1.6000	24.0000
				SC	2.0000	20.0000	10.8000	1.2000	8.0000

				ST	1.0000	10.0000	5.4000	0.6000	4.0000
				Women	13.0000	130.0000	70.2000	7.8000	52.0000
		10	No.	Total	20.0000	200.0000	100.8000	11.2000	88.0000
6	Motor cycle with ice box	0.75	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	36.0000	27.0000	9.7200	1.0800	16.2000
				SC	21.0000	15.7500	8.5050	0.9450	6.3000
				ST	10.0000	7.5000	4.0500	0.4500	3.0000
				Women	18.0000	13.5000	7.2900	0.8100	5.4000
		0.75	No.	Total	85.0000	63.7500	29.5650	3.2850	30.9000
7	Three Wheeler with ice box	3	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	2.0000	6.0000	2.1600	0.2400	3.6000
				SC	4.0000	12.0000	6.4800	0.7200	4.8000
				ST	1.0000	3.0000	1.6200	0.1800	1.2000
				Women	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		3	No.	Total	7.0000	21.0000	10.2600	1.1400	9.6000
8	Providing Boats and nets for traditional Reservoir Fishermen	2	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	130.0000	260.0000	93.6000	10.4000	156.0000
				SC	190.0000	380.0000	205.2000	22.8000	152.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	30.0000	60.0000	32.4000	3.6000	24.0000
		2	No.	Total	350.0000	700.0000	331.2000	36.8000	332.0000
9	Mini Fish Feed Mills of Production Capacity of 2 ton/day	30	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	1.0000	30.0000	10.8000	1.2000	18.0000
				SC	1.0000	30.0000	16.2000	1.8000	12.0000
				ST	2.0000	60.0000	32.4000	3.6000	24.0000
				Women	2.0000	60.0000	32.4000	3.6000	24.0000
		30	No.	Total	6.0000	180.0000	91.8000	10.2000	78.0000
10	Ice plant of 10 ton Capacity	40	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	2.0000	80.0000	43.2000	4.8000	32.0000
		40	No.	Total	2.0000	80.0000	43.2000	4.8000	32.0000
11	Establishment of Medium Biofloc culture system (25 tanks of 4m dia and 1.5m high)	25	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	3.0000	75.0000	40.5000	4.5000	30.0000
		20	No.	Total	3.0000	75.0000	40.5000	4.5000	30.0000

12	Establishment of New Freshwater Finfish Hatcheries	25	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	1.0000	25.0000	13.5000	1.5000	10.0000
		25	No.	Total	1.0000	25.0000	13.5000	1.5000	10.0000
13	Establishment of Trout Fish Hatcheries	50	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	1.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
				Women	1.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
		50	No.	Total	2.0000	100.0000	54.0000	6.0000	40.0000
14	Fish Data collection fishers survey and strengthening of fisheries database	Need based	-	State	1.0000	19.2000	19.2000	0.0000	0.0000
				Total	1.0000	19.2000	19.2000	0.0000	0.0000
15	Construction of Biofloc ponds for freshwater areas including inputs for Rs. 4 lakhs/Ha	14	No.	State	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	3.0000	42.0000	15.1200	1.6800	25.2000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	6.0000	84.0000	45.3600	5.0400	33.6000
		14	No.	Total	9.0000	126.0000	60.4800	6.7200	58.8000
16	Establishment of small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5m high) culture system	7.5	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	7.0000	52.5000	18.9000	2.1000	31.5000
				SC	6.0000	45.0000	24.3000	2.7000	18.0000
				ST	1.0000	7.5000	4.0500	0.4500	3.0000
				Women	6.0000	45.0000	24.3000	2.7000	18.0000
		7.5	No.	Total	20.0000	150.0000	71.5500	7.9500	70.5000
17	Establishment of Medium RAS for (with 6 tanks of minimum30 m3/tank capacity and fish production capacity of	25	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

	10 ton/crop)								
				General	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	2.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
	Total	50	No.	Total	2.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
18	Establishment of large RAS for cold water fisheries (with 10 tanks of minimum 50 m3/tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop)	50	No.	State Govt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				General	1.0000	50.0000	18.0000	2.0000	30.0000
				SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				ST	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				Women	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	Total	50	No.	Total	1.0000	50.0000	18.0000	2.0000	30.0000
19	Livelihood and nutritional support for socio economically backward, active traditional fishers' families for conservation of fisheries resources during fish ban/lean period	0.045	No.	General	2033.0000	91.4850	48.7920	12.1980	30.4950
				SC	1032.0000	46.4400	24.7680	6.1920	15.4800
				ST	85.0000	3.8250	2.0400	0.5100	1.2750
				Women (Gen/SC/ ST)	882.0000	39.6900	21.1680	5.2920	13.2300
				Total	4032.0000	181.4400	96.7680	24.1920	60.4800
20	Establishment of medium scale ornamental fish rearing unit	8	No.	Women	1.0000	8.0000	4.3200	0.4800	3.2000
				Total	1.0000	8.0000	4.3200	0.4800	3.2000
21	Establishment of large RAS (with 10 tanks of minimum 30 m3/tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop)	50	No.	Women	3.0000	150.0000	81.0000	9.0000	60.0000
				Total	3.0000	150.0000	81.0000	9.0000	60.0000

					0				
22	Fish Value Addition Enterprises Units	50	No.	Women	1.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
				Total	1.0000	50.0000	27.0000	3.0000	20.0000
23	Cold Store of 20 ton Capacity	80	No.	Women	1.0000	80.0000	43.2000	4.8000	32.0000
				Total:	1.0000	80.0000	43.2000	4.8000	32.0000
24	Backyard ornamental Rearing unit	3	No.	Women	1.0000	3.0000	1.6200	0.1800	1.2000
				Total:	1.0000	3.0000	1.6200	0.1800	1.2000
	Grand Total			G. Total:		3520.19 00	1745.91 30	205.29 70	1568.9800

10

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- ई-समाधान: मत्स्य विभाग में ई-समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई-समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।
- ई-सर्विस: कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई-सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
- ई-लाइसेंस: इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसेंस उपलब्ध करवाने कि सेवा शुरू करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं।
- ई-कार्यालय: विभाग जल्द निदेशालय स्तर पर होने वाले कार्यों को सभी शाखाओं में पेपर लेस करने के प्रयास कर रहा है और जल्द ही इस सेवा को लागू किया जाएगा।

11

वर्ष 2022-23 के वित्तीय प्रावधान

(i) वित्तीय प्रावधान:

क्रं०	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2022-23 के वित्तीय व्यय(राशि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	..
2.	जलाशय मात्रिकी का विकास एवं प्रबन्ध (जलाशय संरक्षण व मत्स्य बीज उत्पादन)	136.14
3.	कीड़ा मात्रिकी का विकास एवं रख-रखाव (ट्राउट बीज फार्म)	129.88
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव	29.51
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	2.00
6.	अन्य व्यय 121-01	
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड
	(b) मछुआरों का कल्याण SCSP	..
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	95.00
7.	अन्तर स्थलीय मत्स्य सांचियकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	0.00
8.	एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन (नील कान्ति मिशन)	0.00
9.	PMMSY	810.72
10.	अनुसूचित जाति उप योजना	452.15
11.	जनजातीय उप योजना	313.04
	कुल योग :-	

12

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1)(बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य :-

- ऊपर कहे गये विभाग के सभी कार्यों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः

अधिकारियों की शक्तियां:-

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-I और खण्ड-II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय-समय पर संसोधन कर विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

क्र.सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
कार्यालय खर्च			
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप-निदेशक मत्स्यसमस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्यसमस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी ख्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति	शशर्तबजट
4.	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी-मोटी खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति	शशर्त बजट

1. मोटर वाहन

1.	मुरम्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति	शशर्त बजट
2.	पी.ओ.एल. के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति	शशर्त बजट

2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति	शशर्त बजट
----	---	--	---	-----------

3. रख-रखाव

1.	इस मद में मुरम्मत व रख-रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
		समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मो में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	--	--------------------------------	--

13

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ विभाग का मुख्यिया।
- ❖ राज्य में अन्तदेशीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी और शीत जल एक्चाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना।
- ❖ मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय

मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।

- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना ।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना ।
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन ।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना ।
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी ।

संयुक्त निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ राज्य में अन्तदेशीय मात्रिकी, जलाशय मात्रिकी और शीत जल एक्चाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ प्रशासनिक शाखा से संबंधित सभी कार्यों के प्रबंधन में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना और कार्यों को निपटाना ।
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करवाना ।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखवाना ।
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन करने में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना ।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना ।

उप-निदेशक मत्स्य:

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं स्टॉक हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी ।
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण ।
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।

- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

अधीक्षक ग्रेड-1:

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण ।
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि सभी डीलिंग हैण्ड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्टरों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें ।
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना ।
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए ।

सहायक निदेशक मत्स्यः

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण ।
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिह्नित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन ।
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना ।
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनीकी सहायता देना ।
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लार्डसैस जारी करना ।
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रूड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना।
- ❖ कम्पोनैट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना।
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना।
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना।
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रूड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना।
- ❖ अन्तःस्थलीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी तथा शीत जल एक्चाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना।
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना।

- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना।
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप-निरीक्षक मत्स्यः

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना।
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना।
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

फार्म सहायकः

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख-रेख।
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता।
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैकिंग।
- ❖ फार्मों पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यों का निरीक्षण।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीविः

- ❖ नदीय व माटियकी का संरक्षण।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना।
- ❖ विभागीय एक्चाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना।
- ❖ मत्स्य फार्मों का रख-रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिकः

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राऊट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए।
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी-मोटी मुरम्मत।

पर्म्प ऑपरेटर/हैल्परः

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारू रूप से चलाना।
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक घेड-II:

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायक:

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना।
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना।
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायक:

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना।
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख-रखाव, लीव अकाउन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले।
- ❖ तकनीकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित् करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

कनिष्ठ आभियन्ता (सिविल)

- ❖ विभागीय निर्माण कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना।
- ❖ वह 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य विभागीय अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का प्राक्कलन तैयार करना।

- ❖ सहायक अभियंता (सिविल) की देखरेख में कार्य करना।
- ❖ निदेशक (मत्स्य पालन) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

सांचिकी सहायक:

- ❖ सांचिकी शाखा से सम्बन्धित सभी कार्य
- ❖ मत्स्य से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों का युक्तिकरण
- ❖ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनतैयार करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुटंकक:

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य।
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई० टी०)/ लिपिक:

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य।
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्टरों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

चौकीदार:

- ❖ चौकीदार रात के समय कार्यालय परिसर/मछली फार्म की देख रेख करना।
- ❖ रात के समय पानी की आपूर्ति आदि की देखभालकरना।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कार्यवाहक:

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना।
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(i) नियोक्ता और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा कियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। कियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं।

❖ एक्चाकल्चर योजना :-

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को कियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस स्थान का नियोक्ता करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ-साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

❖ मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :-

सभा तथा क्षेत्र के लैंडिंग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

❖ गिल बैट और कास्ट बैट इत्यादि के ऐट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक

मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

- ❖ इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है।
- ❖ कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(ii) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यों का निर्वाहन किया जाता है :-

- ❖ निदेशालय विभिन्न एकीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटित करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- ❖ फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन जैसे कार्य और साथ ही ट्राउट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- ❖ इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- ❖ मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमेन्ट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) कार्यों के निर्वाहन के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020
- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम
- ❖ एच.बी. एडवांस नियम
- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पैशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(iv) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :-

खाता :

- ❖ मासिक लेखा

- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट
- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना :

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध :

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

- (v) विभागीय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण:

विभाग की वैब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ “राज्य स्तर की योजना बैठक” प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और शिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती हैं।

- (vi) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :-

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

शीर्ष समितियां :

- (a) जलाशय विकास समिति
- (b) जल-विद्युत परियोजना के लिए अन्जापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां :

- (a) सामग्री खरीद समिति
- (b) विभागीय पदोन्नति समिति
- (c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति :

- (a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ-साथ उनके प्रारूप विभागीय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(vii) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

कं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	छाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	0 1	0 1	0
2.	सयुक्त निदेशक (हि०प्र०प्रशा० सेवा) मत्स्य निदेशालय (मु०)	0 1	0 1	0
3.	उप-निदेशक मत्स्य	0 2	0 2	0
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	0 1	0 1	0
	जोड़	0 5	0 5	0 0
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	1 1	0 7	0 4
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस)	0 1	0 1	0
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	0 4	0 3	0 1
8.	निजी सहायक	0 1	0 1	0
	जोड़	1 7	1 2	0 5
9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	0 2	0 2	0
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	0 7	0 7	0
11.	मत्स्य अधिकारी	3 3	1 6	1 7
12.	वरिष्ठ सहायक	0 9	0 9	0
13.	सांचियकी सहायक	0 2	0 2	0
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	0 1	0	0 1
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	1 7	1 4	0 3

16.	आशु टंकक	0 2	0 2	0
17.	जूनियर असिस्टेंट/लिपिक	2 1	1 3	0 8
18.	कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई० टी०)	1 8	0 2	1 6
19.	फार्म सहायक	1 5	1 4	0 1
20.	चालक	1 0	0 5	0 5
21.	मोटर बोट चालक	0 4	0 2	0 2
22.	मकैनिक (ऑटो)	0 1	0 1	0
23.	सेल मैन/लिपिक	0 1	0	0 1
24.	फीड मील मकैनिक	0 1	0 1	0
25.	पम्प ऑपरेटर	0 1	0	0 1
	जोड़	1 4 5	9 0	5 5
26.	क्षेत्रीय सहायक	1 4 0	8 3	5 7
27.	मत्स्यजीवी	5 2	3 7	1 5
28.	फिल्डमैन (Fieldman)	0 3	0	0 3
29.	कार्यवाहक	2 3	2 3	0
30.	चौकीदार	1 4	1 4	0 0
31.	चौकीदार-एवं-सफाई कर्मचारी	0 1	0 1	0
32.	वलीनर	0 1	0	0 1
33.	स्वीपर	0 1	0 1	0
	जोड़	2 3 5	1 5 9	7 6
	अंतिम जोड़	4 0 2	2 6 6	1 3 6

(viii) मौजूदा नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :-

क्र.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	01.01.2016 के अनुसार वेतनमान	लेवल
श्रेणी-I			
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	1 2 3 1 0 0-2 0 9 6 0 0	2 8
2.	सयुक्त निदेशक (हि०प्र०प्रशा० सेवा)	6 7 4 0 0-2 0 1 2 0 0	2 1

3.	उप-निदेशक मत्स्य	53600-170100	17
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	56100-177500	16

श्रेणी-II

5.	सहायक निदेशक मत्स्य	46000-146500	13
6.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए.एस)	48700-154300	16
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	43000-136000	12
8.	निजी सहायक	43000-136000	12

श्रेणी-III

9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	38500-122700	11
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	38500-122700	11
11.	मत्स्य अधिकारी	38100-120400	10
12.	वरिष्ठ सहायक	38500-122700	11
13.	सांख्यिकी सहायक	38500-122700	11
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	38500-122700	11
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	25600-81200	6
16.	आशु टंकक	21300-67800	5
17.	जूनियर असिस्टेंट	38100-120400	7
18.	लिपिक	20200-64000	3
19.	जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई०टी०)	20600-65500	4
20.	फार्म सहायक	20200-64000	3
21.	चालक	25600-81200	6
22.	मोटर बोट चालक	20200-64000	3
23.	मकैनिक (ऑटो)	20200-64000	3
24.	सैल्समैन-कम-लिपिक	20200-64000	3
25.	फीड मील मकैनिक	20200-64000	3
26.	पम्प ऑपरेटर	20200-64000	3

श्रेणी-IV

27.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	18000-56900	1
28.	मत्स्यजीवी	18000-56900	1
29.	फिल्डमैन	18000-56900	1
30.	वलीनर	18000-56900	1
31.	कार्यवाहक	18000-56900	1
32.	चौकीदार	18000-56900	1

33.	चौकीदार-कम-स्वीपर	18000-56900	1
34.	स्वीपर	18000-56900	1

(ix) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजना:

वर्ष 2022-23 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष वार विवरण :

उप-निदेशक मत्स्य(मु०), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कं.स.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	2,71,29,723	2,71,27,968
2	2405-00-001-02(SOON)	16,75,508	16,75,115
3	2405-00-101-03(SOON)	16,273	16,172
4	2405-00-101-09(S65N)	24,928	24,928
5	2405-00-101-10(S10N)	78,94,387	78,94,387
6	2405-00-101-10(S13N)	5,33,562	5,33,562
7	2405-00-101-10(S53N)	21,34,250	21,34,250
8	2405-00-109-02(SOON)	1,99,856	1,99,856
9	2405-00-800-01(SOON)	0	0
10	2059-01-053-07(SOON)	0	0
11	2405-00-796-01(SOON)	7,37,149	7,37,149
12	2405-00-796-09(S65N)	24,928	24,928
13	2405-00-796-10(S10N)	25,30,413	25,30,413
14	2405-00-796-10(S13N)	0	0
15	2405-00-796-10(S53N)	0	0

16	2415-00-796-06(SOON)	5,00,000	5,00,000
17	2405-00-789-09(S65N)	12,464	12,464
18	2405-00-789-10(S10N)	45,46,312	45,46,312
19	2405-00-789-10(C53N)	0	0
20	2405-00-789-10(C13N)	0	0
21	2405-00-789-02(SOON)	0	0
कुल जोड़:		4,79,59,753	4,79,57,504

उप-निदेशकमत्स्य, पतलीकुहल(कुल्लू)

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट(₹० में)	व्यय ३१.०३. २०२३ तक
1	2405-00-001-01(SOON)	11,777	11,777
	2405-00-001-02(SOON)	1,95,500	
	2405-00-101-021(SOON)	1,79,05,435	1,79,04,378
2	2405-00-001-03(SOON)	1,16,,75,797	1,16,,75,797
3	4405-00-101-02(SOON)	7,44,009	7,44,551
4	4405-00-101-03(SOON)	30,12,000	30,12,000
कुल जोड़:		3,35,44,518	3,35,44,003

सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय ३१.०३. २०२३ तक
1	2405-00-001-01(SOON)	64,969	64,969

2	2405-00-001-02(SOON)	1,33,26,305	1,33,26,119
3	2405-00-101-02(SOON)	13,77,549	13,77,549
4	2405-00-101-03(SOON)	1,23,779	1,23,779
5	4405-00-101-03(SOON)	22,00,000	22,00,000
6	2405-00-101-04(SOON)	6,22,739	6,22,739
7	2235-60-800-07(SOON)	6,500	6,500
8	2058-00-101-07(SOON)	3,500	3,500
9	4405-00-796-01(SOON)	60,00,000	60,00,000
10	2405-00-796-02(SOON)	41,31,289	41,31,103
11	2405-00-789-02(SOON)	0	0
	कुल जोड़:	2,78,56,630	2,78,17,296

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (रु० में)	व्यय 31.03. 2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	51,000	51,000
2	2405-00-001-02(SOON)	2,72,52,336	2,72,,51,830
3	2405-00-101-04(SOON)	1,20,000	1,20,000
4	2405-00-101-02(SOON)	61,32,541	61,32,294
5	2405-00-101-03(SOON)	28,085	28,085
6	2216-05-053-03(SOON)	0	0
7	2235-60-800-07(SOON)	4,35,165	4,35,165
8	2058	9,000	9,000
9	2405-00-789-02(SOON)	0	0

10	4405-00-101-02(SOON)	24,28,273	24,28,273
	कुल जोड़:	3,64,56,400	3,64,55,587

सहायक निदेशक मत्स्य, पौगड़ैम जिला कांगड़ा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03. 2023 तक
1	2405-00-001-02(SOON)	1,66,83,169	1,66,80,676
2	2405-00-101-02(SOON)	55,78,675	55,74,843
3	2235-60-800-07	22,498	22,498
4	2258	9,000	9,000
	कुल जोड़:	2,22,93,342	2,22,87,017

सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुरजिला कांगड़ा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03.2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	21,825	21,825
2	2405-00-001-02(SOON)	1,35,32,588	1,35,01,169
3	2405-00-101-02(SOON)	10,000	10,000
4	2405-00-101-03(SOON)	1,55,554	1,55,247
5	2405-00-101-04(SOON)	4,39,407	4,39,141
6	4405-00-101-02(SOON)	21,51,000	21,51000
7	2235-60-800-07(SOON)	3,92,840	3,92,803
8	2058	3500	3,500
9	2405-00-789-02	0	0
10	2405-00-789-02	0	0
11	2405-00-789-02	0	0
	कुल जोड़:	1,67,06,714	1,66,73,685

सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03.2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	29,636	29,636
2	2405-00-001-02(SOON)	40,16,738	40,16,738
3	2405-00-101-02(SOON)	0	0
4	2405-00-101-03(SOON)	1,59,202	1,59,202
5	2405-00-101-04(SOON)	4,31,310	4,31,310
6	2235-60-800-07(SOON)	11,757	11,757
7	2058-	3,000	3,000
8	2405-00-789-02(SOON)	0	0
9	4405-00-101-04(SOON)	27,48,000	27,48,000
	कुल जोड़:	73,99,643	73,99,643

सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03. 2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	70,284	70,279
2	2405-00-001-02(SOON)	73,19,818	73,10,015
3	2405-00-101-02(SOON)	0	0
4	2405-00-101-03(SOON)	1,25,000	1,24,985
5	4405-00-101-03(SOON)	5,00,000	5,00,000
6	2235-60-800-07(SOON)	2,03,401	2,03,401
7	2405-00-796-01(SOON)	8,42,566	8,42,566
8	2405-00-796-02(SOON)	29,77,103	29,76,632

9	2405-00-789-02(SOON)	0	0
10	2058-	0	0
	कुल जोड़:	1,20,38,172	1,20,27,879

सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

कं.सं	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03.2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	2,01,774	2,00,933
2	2405-00-001-02(SOON)	1,31,14,345	1,30,92,815
3	2405-00-101-02(SOON)	0	0
4	2405-00-101-03(SOON)	3,27,113	3,27,113
5	2405-00-101-04(SOON)	6,22,739	6,22,739
6	4405-00-101-04(SOON)	6,50,000	6,50,000
7	2058-	3,500	3,500
8	4405-00-101-03(SOON)	30,84,000	20,84000
9	2235-60-800-07(SOON)	1,98,186	1,98,186
10	2405-00-786-02(SOON)	0	0
	कुल जोड़:	1,82,01,657	1,71,79,286

सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03.2023 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	80,533	80,533
2	2405-00-001-02(SOON)	65,48,413	65,46,119

3	2405-00-101-02(SOON)	0	0
4	2405-00-101-03(SOON)	1,90,957	1,90,957
5	2405-00-101-04(SOON)	9,50,003	9,50,003
6	2235-60-800-07(SOON)	73109	73109
7	4405-00-101-04(SOON)	30,24,000	30,24,000
8	2058-	3,500	3,500
9	2405-00-789-02-09	0	0
10	2405-00-789-02-20	0	0
	कुल जोड़:	1,08,70,515	1,0868,221

सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (₹० में)	व्यय 31.03.2022 तक
1	2405-00-001-01(SOON)	98,000	97,993
2	2405-00-001-02(SOON)	83,29,311	83,29,311
3	2405-00-101-02(SOON)	22,150	22,150
4	2405-00-101-03(SOON)	1,86,909	1,86,909
5	2405-00-101-04(SOON)	13,00,000	13,00,000
6	2235-60-800-07(SOON)	71,161	71,161
7	2058-	3,500	3,500
	कुल जोड़:	1,02,66,031	1,02,66,024

- (x) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xi) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xii) इलैक्ट्रोनिक रूप में विभाग द्वाराउपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

- ❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साईट <http://hpfisheries.nic.in> पर ली जा सकती है।
- ❖ विभाग की वैवसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xiii) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साइट <http://hpfisheries.nic.in> में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xiv) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :-

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	पद कार्यालय और पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	दूरभाष/फैक्स नंबर
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------	-------------------

पहला अपील अधिकारी	निदेशक प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	एवं सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	fisheries-hp@nic.in	01978-224068 (कार्यालय) 223390 (घर) मोबाइल-94180- 07615
-------------------	--	----------------------------------	---------------------	---

राज्य स्तरीय

पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नंम्बर
पी.आई.ओ.	उप-निदेशक मत्स्य(मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddfisheries-bil-hp-@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(मु0)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	adfisheries-bil-hp@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	adfisheriestp-bil-hp@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	अधीक्षक ग्रेड-I निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978-223212 (कार्यालय)

जिला स्तर

क्र.सं.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नंम्बर
---------	-----------------------	---------------------	--------------	------------------------

जिला बिलासपुर

पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	adfisheries1-bil-hp@gov.in	01978-222568 (कार्यालय)
----------	--	---------------	----------------------------	----------------------------

ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस)	मत्स्य फार्म दियोली(घाघस)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना

जिला मण्डी

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी	जिला मण्डी	adf-mandi- hp@nic.in	01905– 235141 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी

जिला कुल्लू

पी.आई. ओ.	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	ddf fisheries-kul- hp@nic.in	01902– 240163 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी,	इण्डो नौर्चे ट्राऊट फार्मिंग	...	01902– 240163

	पतलीकुहल, जिला कुल्लू	प्रोजैक्ट पतलीकुहल		(कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हामणी, जिला कुल्लू	हामणी, जिला कुल्लू

पौंग डैम

पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, ज्वाली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नन्दपुर
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हरिपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, हरिपुर
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, डाडा सिब्बा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, डाडा सिब्बा

ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, हरसर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, हरसर
----------------	--	---------------------------------	-----	-----

जिला चम्बा

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	adfisheries-cha-hp@ nic.in	0 1 8 9 9 – 2 2 3 8 0 1 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राउट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	ट्राउट फार्म, होली,

हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा (पौंग जलाशय) और हमीरपुर	adfisheries-pal-hp@ nic.in	0 1 8 9 4 – 2 3 1 8 7 2 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर
ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा

जिला किन्नौर और शिमला

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला-5	जिला शिमला और किन्नौर	adfish-sml-hp@ nic.in	0 1 7 7 – 2 8 3 0 1 7 1 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला	जिला शिमला
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राउट फार्म, धमबाड़ी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राउट फार्म, सांगला

जिला सिरमौर और सोलन				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर	adfiseries- sol-hp @nic.in	01792- 229454 (कार्यालय) 01702. 224985
ए.पी. आई.ओ.	जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन		01792- 229454 (कार्यालय)
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702. 224985 (कार्यालय)
जिला ऊना				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	adfiseries- una-hp@nic.in	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	जूनियर असिस्टेंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	---	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	जिला ऊना	...	01975- 227792 (कार्यालय)

वर्ष 2022-23 में सेवा निवृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2022-23 की सेवा
निवृतियां (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक)

कं.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृति वर्ष 2022-23
1.	महेश कुमार	उप-निदेशक मत्स्य	31/05/2022
2.	सुशील जनार्था	उप-निदेशक मत्स्य	30/09/2022
3.	हमीर चन्द	उप-निदेशक मत्स्य	31/01/2023

4.	खेम सिंह	उप-निदेशक मत्स्य	31/03/2023
5.	श्याम लाल	सहायक निदेशक मत्स्य	31/12/2022
6.	विरेन्द्र सिंह	चालक	31/03/2023
7.	बुद्धि सिंह	चौकीदार	31/03/2023
8.	कृष्ण लाल	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2023
9.	रंगील चन्द	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2023
10.	सफरिया राम	फिशरमैन	31/01/2023
11	विपन कुमार	फिशरमैन	31/01/2023



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2022-23



मात्रियकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश